

रिपोर्ट पटवारी कुराबड़ तहसील गिरवा जिला उदयपुर

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र मे अधिगत राख्य राही है। ग्राम जायल कोटड़ा की खाता संख्या 56 मे प्रार्थी का नाम जोविन्द प्रसाद कालु दर्ज है, जबकि प्रार्थी के नाम सरकारी दरतायेजो मे राही नाम जोविन्द प्रसाद कालु दर्ज है। खाते मे दर्ज नाम प्रार्थी के नाम का विकृत रूप/अपघ्न है। अतः ग्राम जायल कोटड़ा की खाता संख्या 56 मे दर्ज नाम जोविन्द प्रसाद कालु को बजाय राही इन्द्राज जोविन्द प्रसाद कालु दर्ज किया जाना उचित है।

भू अभिलेख निरीक्षक

पटवारी
पटवार मण्डल-झामर कोटड़ा
तह-कुराबड़, जिला-उदयपुर (राज.)

कार्यालय तहसीलदार गिरवा जिला उदयपुर

भू अभिलेख निरीक्षक एवं पटवारी हल्का की रिपोर्ट अनुसार ग्राम जायल कोटड़ा की जमाबन्दी की खाता संख्या 56 मे दर्ज नाम जोविन्द प्रसाद कालु के बजाय सही नाम जोविन्द प्रसाद कालु दर्ज किया जाना उचित है।

तहसीलदार
कुराबड़, जिला उदयपुर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गिरवा जिला उदयपुर

सं. - 247/2025 क्रमांक/4022

दिनांक 31/12/25

::आदेश::

प्रार्थी के प्रार्थना एवं तहसीलदार कुराबड़ की रिपोर्ट एवं सलग्न

दस्तावेजों के आधार पर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत ग्राम

झामरकोटड़ा की जमाबन्दी की खाता संख्या 56 मे दर्ज नाम/इन्द्राज...

जोविन्द प्रसाद कालु के बजाय सही नाम/इन्द्राज जोविन्द प्रसाद कालु

दर्ज करने की स्वीकृती प्रदान की जाती है। तहसीलदार आदेशानुसार

राजस्व रिकार्ड मे अगल दरामद कर पालना करे।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
गिरवा, उदयपुर